बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0/सम्ब0/2015/ 110 दिनांक :– 01/05/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय,
प्रेमनगर, झांसी।

विषयः– स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, झांसी को शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2015 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन **स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, झांसी** को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 28.04.2015 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल द्वारा की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा **निम्नवत् संस्तुति की गई है:–**

सर्वसम्मति से महाविद्यालय को **दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष** हेतु सशर्त सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान की जाती है।

सन्दर्भित प्रकरण :–

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, झांसी द्वारा दिनांक 31.03.2015 को आयोजित होने वाली परीक्षा का प्रश्नपत्र एक दिन पूर्व खोल दिया गया। जिसके कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी।

परीक्षा समिति का निर्णय – स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, झांसी द्वारा दिनांक 31/03/2015 को मध्यान्ह की पाली (11:00 बजे से 02:00 बजे तक) को आयोजित होने वाली बी0ए0 तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र की परीक्षा के प्रश्न पत्र दिनांक 30/03/2015 को ही खोल लिया था, जिसके कारण दिनांक 31/03/2015 की बी0ए0 तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की सभी केन्द्रों की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा समिति द्वारा इस कृत्य को गम्भीरता से लेते हुये महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र तीन वर्ष के लिये प्रतिबन्धित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय की लापरवाही के कारण सभी परीक्षा केन्द्रो की पुनः परीक्षा कराने मे जो व्यय हुआ उसका निर्धारण कुलसचिव से कराकर महाविद्यालय पर अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा।

महाविद्यालय सी0सी0टी0वी0 के Night Vision CCTV Camera के फुटेज से परीक्षा की समाप्ति के तीन कार्य दिवस में यह सिद्ध करें कि सभी प्रश्न पत्र परीक्षा के प्रारम्भ में कार्य परिषद के निर्णयानुसार केन्द्राध्यक्ष (जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है) की उपस्थिति मे खोले गये अन्यथा की स्थिति मे महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु परीक्षा समिति द्वारा कार्यपरिषद को संस्तुति की जायेगी।

चेतावनी– परीक्षा समिति के उक्त निर्णय को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया है कि परीक्षा समिति के निर्णयानुसार परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में असावधानी बरतने के आरोप में महाविद्यालय को इस आशय की कठोर चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उक्त कार्य की पुनरावृत्ति कदापि न की जाय अन्यथा कि स्थिति में अधिनियम की धारा 37(2) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सम्बद्धता वापिस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने दिनांक **01.07.2015 से आगामी दो वर्ष** के लिए सम्बद्धता की सहर्ष पूर्वानुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

1. उपरोक्तानुसार इंगित कमियों को काउन्सलिंग के पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संसूचित किया जाय।
2. प्रवक्ताओं का सम्पूर्ण डाटा बैंक एकाउन्ट के साथ काउन्सलिंग से पूर्व कम्प्यूटर में अपलोड कर लिया जाय।
3. उक्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि प्राभूत राशि का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय को सम्बन्धित अभिलेख समयावधि के अर्न्तगत जमा करना सुनिश्चित करें तथा कार्यपरिषद के निर्णयानुसार वार्षिक परीक्षा के पूर्व माह दिसम्बर, 2015 तक सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तद्नुसार सिस्टम एनालिस्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन एवं अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा शिक्षकों को एकाउन्टपेयी चैक द्वारा वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा।
6. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(अखिलेश चन्द्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी
2. समाजकल्याण अधिकारी, झांसी।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
4. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. कुलसचिव के आशुलिपिक।
7. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
8. एजेन्सी प्रतिनिधि।

कुलसचिव